



क्षेत्रीय कार्यालय

भीम
15
YEARS OF
CELEBRATING
THE NAGOUR

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB-150/ 2032-2035

Date: 20/01/23

M/s Shree Om Granite,

R/o- 275, Mohanpura, Naya Suratgarh,

Tehsil- Kishangarh, Distt.- Ajmer (Raj.)

Email- omgraniteecbl@gmail.com

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for "Granite Stone Mining Cluster Projects, (M.L. No. 19/2021, M.L. No. 04/2022, M.L. No. 18/2021, M.L. No. 35/2022) with proposed Production capacity of cluster- 6,11,990 TPA(ROM) and Total Cluster Area- 5.13896 Hectare, Applied by M/s Shree Om Granite, proposed production capacity- 1,19,616 TPA(ROM){Saleable Mineral- 59,808 TPA & Waste- 59,808 TPA}, area- 1.00169 Ha., at Kh.no. 549, Near Village- Surajgarh, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur (Raj.)

Ref.:- Office of district collector, Nagaur letter no. 409 dated 18.01.2023

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before 30.01.2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra (I.T. Center), Village- Alniyawas, Tehsil- Riyanbari, District-Nagaur At 01.00 PM on 02.03.2023** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,

Savita
(Savita)

Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 409 dated 18.01.2023
3. Sub District Magistrate, Riyanbadi, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Savita
Regional Officer

Received copy of M/s Shree Om Granite

शिवदास

20/01/23



क्षेत्रीय कार्यालय

भूमि

15
YEARS OF
CELEBRATING
THE AGAZITA

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांक:-राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-150/

दिनांक :


पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "ग्रेनाइट स्टोन माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 19/2021, 04/2022 & 18/2021 & 35/2022), कुल क्लस्टर क्षेत्र - 5.13896 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 6,11,990 TPA(ROM)" आवेदक श्री ओम ग्रेनाइट, क्षेत्र- 1.00169 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 1,19,616 TPA(ROM) { सेलेबल मिनरल - 59,808 TPA & वेस्ट मिनरल- 59,808 TPA}, खसरा नं.- 549, गांव-सुरजगढ़, तहसील- रियाबडी, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री ओम ग्रेनाइट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, नागौर।
2. CEO जिला परिषद् नागौर।
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी, रियाबडी।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
9. ग्राम पंचायत, आलनियावास।
10. भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- आलनियावास, तहसील- रियाबडी, जिला-नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/जसु.2022/409 दिनांक 18.01.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 02.03.2023 (गुरुवार) को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- आलनियावास, तहसील- रियाबडी, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सयिता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

दिनांक- 18.01.2023

क्रमांक/व्याप्त/प्रदूषण/ज सु 2023/409
प्रेषित:-

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
प्रथम तल, सहकारी भूमि विकास बैंक,
पुलिस लाईन के पास, नागौर

विषय:- Public hearing for Environmental Clearance for "Granite stone mining cluster project (M.L. No. 19/2021, 04/2022, 18/2021, 35/2022) with Proposed production capacity of the cluster 611990 TPA (ROM) and total cluster area 5.13896 Hectare, Applied by M/s Shree Om granite, proposed production capacity 119616 TPA (ROM) area 1.00169 at Khasra No. 549, Near Village- Sraigarh, Tehsil Riyabadi, District Nagaur
प्रसंग:- आपन पत्रांक RPCB/RO/NGR/PUB-150/1957 DATE 18.01.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि विषयक जसुनवाई स्थान भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर) आलनियावास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर तिथि दिनांक 02.03.2023 को दोपहर 01.00 बजे नियत की जाकर उक्त जन सुनवाई में जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के प्रतिनिधि के रूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी को अधिकृत किया जाता है।

(पीयूष शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर
दिनांक 18.01.2023

क्रमांक/सम/410-415

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सहायक जिला मजिस्ट्रेट/अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रियांबड़ी।
3. तहसीलदार, रियांबड़ी।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति (भैरूदा) (अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर)
5. M/s Shree Om granite

जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर